

प्रेषक,

आयुक्त,  
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,  
मण्डलीय समिति अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र -2 समुदाय केन्द्र  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / / 2014-15

दिनांक: 26-6-14

विषय-अलीगढ़ मण्डल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से  
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916(1)/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक: 14-07-2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 26-06-2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार संत करशनी पब्लिक स्कूल जलेसर रोड सादाबाद हाथरस को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

प्रतिबन्ध-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जावेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली /कॉन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8- विधालय निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओ में रखा जावेगा।


9- विधालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

10- विधालय की भवन भूमि यदि विधालय के नाम न होतो विधालय के नाम कराये। तथा भूमि की पर्याप्तता सुनिश्चित कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

11- नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानिक सुरक्षा मानको का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाय।

12- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

  
26/4/14

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
अलीगढ़।

भवदीय,

( टी० वेंकटेश )

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष  
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

### कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या: एस०टी०/1308-15 /2014-15 तद् दिनांक: 26-6-14  
प्रतिलिपि- निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र०शासन, शिक्षा-7 अनुभाग लखनऊ।

2-मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।


3-जिलाधिकारी, हाथरस।

4-शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० 18पार्क रोड, लखनऊ।

5-जिला विधालय निरीक्षक, हाथरस।

6-प्रबन्धक, सम्बन्धित विधालय।

7-गार्ड फाइल।

  
सचिव/सदस्य एवं  
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
अलीगढ़।